

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

संचिका सं०-5/स०भू० देवघर (एस०पी० माईन्स)-135/2020...../रा०, राँची, दिनांक-

राज्यादेश

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची।

विषय:- मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-10.11.2022 में मद्द संख्या-23 के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में देवघर जिलान्तर्गत अंचल-पालोजोरी के मौजा-खुन, थाना सं०-593, खाता सं०-40 के विभिन्न दाग सं० में अंतर्निहित कुल रकबा-33.44 एकड़ गैरमजरूआ भूमि, किस्म-नाला, परती कदीम एवं गोचर (गोचर भूमि का रकबा-28.23 एकड़) (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक-I) जिला अवर निबंधक, देवघर के ज्ञापांक-509, दिनांक-31.10.2018 द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य का पुनरीक्षित मार्गदर्शिका पंजी के अनुसार वर्तमान बाजार दर (व्यवसायिक) एवं राजस्व विभागीय संकल्प सं०-48/रा०, दिनांक-03.01.17 के आलोक में संगणित सलामी की राशि 9,28,96,320/- (नौ करोड़ अठाईस लाख छियानवे हजार तीन सौ बीस) रुपये मात्र, सलामी का 1 (एक) प्रतिशत वार्षिक लगान की राशि 9,28,963/- (नौ लाख अठाईस हजार नौ सौ तिरसठ) रुपये मात्र, लगान का 75 प्रतिशत सेस की राशि 6,96,722/- (छः लाख छियानवे हजार सात सौ बाईस) रुपये मात्र तथा 29 वर्षों के लिए एकमुश्त भुगतेय लगान एवं सेस की राशि 4,71,44,883/- (चार करोड़ एकहत्तर लाख चौवालीस हजार आठ सौ तिरासी) रुपये मात्र अर्थात् कुल देय राशि 14,16,66,888/- (चौदह करोड़ सोलह लाख छियासठ हजार आठ सौ अठासी) रुपये मात्र (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक-II) ई०सी०एल० चितरा कोलमाईन्स द्वारा अदायगी पर एस०पी० माईन्स चितरा कोलियरी के विस्तारीकरण हेतु ई०सी०एल० (एस०पी० माईन्स) चितरा के साथ 30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती करने तथा उक्त प्रस्तावित गोचर भूमि के प्रतिपूर्ति हेतु देवघर जिलान्तर्गत अंचल-पालोजोरी के मौजा-मुर्गाबनी, ताराबाद, कोलपाड़ा, थाना संख्या क्रमशः-592, 591, 624 खाता सं०-19, 54, 13 के विभिन्न दाग सं० में अंतर्निहित कुल रकबा-28.23 एकड़ गैरमजरूआ भूमि, किस्म-परती कदीम (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक-III) को गोचर अधिसूचित करने के संबंध में।

आदेश :- स्वीकृत।

इस शर्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि :-

- i. उपायुक्त, देवघर प्रस्तावित भूमि के लीज बंदोबस्ती से संबंधित सभी खातों एवं प्लॉटों में अंकित रकबा का खतियान एवं अन्य राजस्व कागजातों से सत्यापन एवं मिलान कर आश्वस्त होने के पश्चात् ही भूमि की लीज बंदोबस्ती की कार्रवाई करेंगे।
- ii. जिस प्रयोजन हेतु भूमि का लीज बंदोबस्ती किया जा रहा है, उसमें भूमि की आवश्यकता नहीं रहने अथवा 12 माह में कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने पर यह भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जाएगी।
- iii. प्रस्ताव में सन्निहित जंगल-झाड़ी भूमि का गैर वानिकी उपयोग कार्य करने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अंतिम स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही जंगल-झाड़ी भूमि की लीज बंदोबस्ती की कार्रवाई उपायुक्त, देवघर सुनिश्चित करेंगे।

कृ.पृ.उ.

ज्ञापांक:-5/स0भू0 देवघर (एस0पी0 माईन्स)-135/2020.4102(5)/रा0 राँची, दिनांक-24/11/2020

प्रतिलिपि:- उपायुक्त, देवघर को विषय से संबंधित अभिलेख सं0-14/19-20, 11/19-20, 02/16-17 एवं 13/19-20 (कुल चार अभिलेख) मूल रूप में संलग्न कर वापस करते हुए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनु0-यथोक्त।

2. आयुक्त के सचिव, संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका को उनके पत्रांक-46/रा0, दिनांक-12.03.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. महाप्रबंधक, एस0पी0 माईन्स, चितरा, ई0सी0एल0, एस0पी0 माईन्स क्षेत्र, पो0- चितरा, जिला-देवघर, पिन कोड-815351 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय प्रशाखा-12 (समन्वय) एवं प्रशाखा-5 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Amit
23/11/20
सरकार के संयुक्त सचिव।

संचिका सं०-5/स०मू० देवघर (एस०पी० माईन्स)-135/2020...5102... (5)/रा०

राँची, दिनांक-24/11/2022

अनुलग्नक-I

प्रस्तावित भूमि की विवरणी :-

अभिलेख संख्या	जिला	अंचल	मौजा/थाना नं०	खाता नं०	दाग नं०	रकबा (एकड़ में)	किस्म
14/19-20	देवघर	पालोजोरी	खुन/593	40	514	0.66	नाला
						कुल-	0.66
11/19-20	देवघर	पालोजोरी	खुन/593	40	285	4.55	परती कदीम (सर्वे पर्वा अनुसार)
						कुल-	4.55
02/16-17	देवघर	पालोजोरी	खुन/593	40	18	25.00	गोचर
					20	0.20	गोचर
					333	0.12	गोचर
					426	0.79	गोचर
					429	0.75	गोचर
					430	1.22	गोचर
					434	0.15	गोचर
						कुल-	28.23
सकल कुल योग-						33.44 एकड़	

23/11/22
सरकार के संयुक्त सचिव।

अनुलग्नक-II

भूमि का मूल्य गणना विवरणी :-

अभिलेख सं०	रकबा (एकड़ में)	भूमि का मूल्य प्रति एकड़	सलामी की राशि	सलामी का 1 प्रतिशत वार्षिक लगान	लगान का 75 प्रतिशत सेस	29 वर्षों के लिए लगान एवं सेस की राशि	कुल देय राशि (4+5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
14/19-20	0.66	2778000	1833480	18334.80	13751.10	930491.10	2796057.00
11/19-20	4.55	2778000	12639900	126399.00	94799.25	6414749.25	19275847.50
02/16-17	28.23	2778000	78422940	784229.40	588172.05	39799642.05	119594983.50
कुल	33.44		92896320	928963.20 या 928963	696722.40 या 696722	47144882.40 या 47144883	141666888.00 या 141666888

अर्थात् कुल देय राशि 14,16,66,888/- (चौदह करोड़ सोलह लाख छियासठ हजार आठ सौ अठासी) रुपये मात्र।

(Signature)
सरकार के संयुक्त सचिव।

अनुलग्नक-III

गोचर अधिसूचित की जाने वाली भूमि की विवरणी :-

क्र0	अभिलेख संख्या	जिला	अंचल	मौजा	थाना सं0	खाता सं0	दाग सं0	रकबा (एकड़ में)	भूमि का किस्म
01.	13/19-20	देवघर	पालोजोरी	मुर्गाबनी	592	19	233	0.08	परती कदीम
							236	0.68	परती कदीम
							249	0.29	परती कदीम
							253	0.18	परती कदीम
							258	0.69	परती कदीम
							262	0.08	परती कदीम
							323	0.14	परती कदीम
							478	2.15	परती कदीम
							486	0.10	परती कदीम
							489	2.00	परती कदीम
							237	0.28	परती कदीम
							243	1.64	परती कदीम
कुल-							8.31		
				ताराबाद	591	54	389	0.80	परती कदीम
							851	0.60	परती कदीम
							1585	2.01	परती कदीम
कुल-							3.41		
				कोलपाड़ा	624	13	413	4.54	परती कदीम
							302	4.41	परती कदीम
							11	2.80	परती कदीम
							17	3.21	परती कदीम
							09	1.55	परती कदीम
कुल-							16.51		
सकल कुल योग-							28.23		

2022/11/24
सरकार के संयुक्त सचिव।